S.T. No. - 108/2025

<table>
<tr><th>Serial No.</th><th>Date of order of proceeding</th><th>Order with the signature of the Court</th><th>Office action taken with date</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>15.07.2026</td><td>सभी सात अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव, 2. कांग्रेस यादव, 3. ममता देवी, 4. कार्तिक यादव, 5. अजय यादव, 6. रघुनाथ यादव एवं 7. कुसुम देवी उर्फ कुशाये की हाजिरी है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित हुए।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णयानुसार उपरोक्त नामित अभियुक्त सातों अभियुक्तगण में से दो अभियुक्तगण 1. ममता देवी एवं 2. कुसुम देवी उर्फ कुशाये को बी0एन0एस0 की धारा 126 (2)/3(5), 127(2)/3(5), 115(2)/3(5), 118(1)/3(5), 109/3(5) के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा तथा उन्हें व उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्वों से भी उनमोचित किया गया। शेष पांच अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव, 2. रघुनाथ यादव, 3. अजय यादव, 4. कांग्रेस यादव एवं 5. कार्तिक यादव को बी0एन0एस0 की धारा 109/3(5), 127(2)/3(5) एवं 118(1)/3(5) के आरोपों से दोषमुक्त किया गया, परंतु सभी पांचों अभियुक्तगण को बी0एन0एस0 की धारा 115(2)/3(5) एवं 126 (2)/3(5) के अंतर्गत दोषी पाया गया।

तदनुसार पांचों दोषसिद्धों 1. प्रदीप यादव, 2. रघुनाथ यादव, 3. अजय यादव, 4. कांग्रेस यादव एवं 5. कार्तिक यादव का बंध–पत्र रद्द करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

वाद मध्यांतर पश्चात् सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

लेखापित
ह0/–
(राधा कृष्ण)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
(ID No. JH-0414)</td><td></td></tr>
</table>

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	पश्चात् 15.07.2026	पांचों दोषसिद्धगण 1. प्रदीप यादव, 2. रघुनाथ यादव, 3. अजय यादव, 4. कांग्रेस यादव एवं 5. कार्तिक यादव उपस्थित हैं । पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उपरोक्त नामित पांचों दोषसिद्धों 1. प्रदीप यादव, 2. रघुनाथ यादव, 3. अजय यादव, 4. कांग्रेस यादव एवं 5. कार्तिक यादव के सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुनने के उपरांत उपरोक्त नामित पांच दोषसिद्धगण में से दो दोषसिद्धगण 1. रघुनाथ यादव एवं 2. कार्तिक यादव को Probation of Offenders Act, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत सम्यक भर्त्सना के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया। शेष तीन दोषसिद्धों 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव को बी0एन0एस0 की धारा 115(2) के अंतर्गत 1 (एक) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं रू0 1,000/— (एक हजार रूपए) अर्थदंड की सजा दी गयी तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्धों को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा बी0एन0एस0 की धारा 126 (2) के अंतर्गत 1 (एक) महीना के साधारण कारावास की सजा एवं रू0 500/— (पांच सौ रूपए) अर्थदंड की सजा दी गयी तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्धों को सात दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाये साथ—साथ चलेंगी तथा दोषसिद्धों के द्वारा इस वाद में कारावास में बितायी गई अवधि बी0एन0एस0एस0 की धारा 468 के अंतर्गत सजा की	.......लगातार

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	...... लगातार 15.07.2026	अवधि से समायोजित की जायेगी। निर्णय कुल छियालीस (46) पृष्ठों में अभिलेख के साथ संलग्न है। निर्णय की निःशुल्क प्रति दोषसिद्धों को अविलम्ब उपलब्ध करायें। कार्यालय तदनुसार तीनों दोषसिद्धों 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव के विरूद्ध सजावार अधिपत्र निर्गत करें। लेखापित ह0/- (राधा कृष्ण) प्रधान सत्र न्यायाधीश (ID No. JH-0414)	
	पश्चात् 15.07.2026	दोषसिद्धगण 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन-पत्र दाखिल कर निवेदन करते हैं कि उपरोक्त तीनों दोषसिद्ध आज पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अपील में जाना चाहते हैं, अतः उन्हें जमानत पर मुक्त करने की कृपा करें। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त नामित दोषसिद्धगण 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव को बी0एन0एस0 की धारा 115(2) के अंतर्गत 1 (एक) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं रू0 1,000/- (एक हजार रूपए) अर्थदंड की सजा दी गयी तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्धों को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा बी0एन0एस0 की धारा 126 (2) के अंतर्गत 1 (एक) महीना के साधरण कारावास की	.......लगातार

S.T. No. - 108/2025

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	...... लगातार 15.07.2026	सजा एवं रू0 500/- (पांच सौ रूपए) अर्थदंड की सजा दी गयी तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्धों को सात दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, अतः उपरोक्त नामित तीनों दोषसिद्धों को अपील दाखिल करने हेतु दाखिल औपबंधिक जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है, तदनुसार पांचों दोषसिद्ध द्वारा मो0 20,000/- (बीस हजार) रूपए तथा समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर उन्हें दो माह के औपबंधिक जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित ह0/- (राधा कृष्ण) प्रधान सत्र न्यायाधीश (ID No. JH-0414)	
	पश्चात् 15.07.2026	उपरोक्त निर्णयानुसार/आदेश के आलोक में पांचों दोषसिद्धगण 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव की ओर से वांछित बंध-पत्र दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरांत दो माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार दोषसिद्धगण 1. प्रदीप यादव, 2. अजय यादव एवं 3. कांग्रेस यादव को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। लेखापित ह0/- (राधा कृष्ण) प्रधान सत्र न्यायाधीश (ID No. JH-0414)	